

केन्द्रीय सूचना आयोग

राजा गंगाराम आर्वा,

महिरका, नई दिल्ली - 110067.

संविदा सं. C/COM/R/2017/01401

दिनांक 01.12.2017

सेवा में,

श्री सन्तोष, पुत्र - स्व. श्री सुनई,

महोदय,

उक्त विषयक आपका दिनांक 03.11.2017 का आर.टी.आई. आवेदन जो कि केन्द्रीय सूचना आयोग में दिनांक 20.11.2017 को डायरेक्ट हुआ (डायरी सं. 178189) तथा आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में दिनांक 21.11.2017 को प्राप्त हुआ, का अवलोकन करें।

आपके आर.टी.आई. आवेदन के आख्यम से भांगी गई सूचना के संदर्भ में अवगत कराया जाता है कि आपके द्वारा भांगी गई सूचना का धारक केन्द्रीय सूचना आयोग नहीं है। कृपया सूचना से संबंधित कार्यालय/विभाग में आवेदन दाखिल कर सूचना प्राप्त करें। आपने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अधीन कार्यरत विभाग/कार्यालय से संबंधित सूचना मांगी है। इस संदर्भ में उल्लेख किया जाता है कि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत केन्द्रीय सूचना आयोग केवल केन्द्रीय सरकार एवं संघ शासित प्रदेशों के अधीन कार्यरत विभागों/कार्यालयों के विरुद्ध द्वितीय अपीलीय अधिकरण है। राज्य सरकार के अधीन कार्यरत विभाग/कार्यालय केन्द्रीय सूचना आयोग के प्रशासनिक/व्यावहिक क्षेत्र से बाहर हैं, इसलिए राज्य सरकार से संबंधित आर.टी.आई. आवेदनों पर केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा कोई कार्रवाई अवलोकित नहीं है।

(ए. के. शर्मा)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
आर.टी.आई.सेल

आयोग के अध्यक्ष

